कार्यालय नगर पालिका परिषद् मकरोनिया (बुजुर्ग) जिला – सागर म.प्र.
(E-mail : cmomakronia@mpurban.gov.in)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4.1 ख के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी

प्राक्कथन

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित किया जाता है । भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है । संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि, प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाब देह होना आवश्यक हैं। यह तभी संभव है, जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिक इकाइयों के क्रिया कलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जो उनसे जुडी है, या जो जनहित में आवश्यक हैं।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश जानकारी की स्वंतत्रता अधिनियम 2002 कमांक 3 सन 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है।

नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग जिला सागर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गठित एक निगमित निकाय है एवं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक '' लोक प्राधिकारी'' है। नगर पालिका परिषद के कार्य व कर्तव्य नागरिको से सीधे जुड़े हुए हैं। अतः नागरिको को नगर व नागरिको के लिये निर्धारित की जाने नीति स्वीकृत योजनाएं व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई है।

इस हस्तपुस्तिका में अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी या किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है ।

कार्यालय नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग जिला सागर (म.प्र.)

बिन्दु – एक

अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग जिला सागर की स्थापना 21 फरवरी 2015 को की गई। वर्तमान में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों से वह अपने कर्तव्यों को सम्पादित कर रही हैं।

परिषद् के मुख्य कर्तव्य व कार्यो का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विर्निदिष्ट है। जो निम्नानुसार हैं :–

(क) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना।

(ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हो और जो सार्वजनिक उपयोग के लिये खुले हो भले ही ऐसे स्थान परिषद में निहित हो या न हो हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपशमन करना।

(ग) विष्ठा तथा कूडा करकट का व्ययन करना और विष्ठा तथा कूडा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना।

(घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना।

(ड) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन एवं उपशमन करना।

(च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से जो प्राईवेट सम्पत्ति न हों, और जो सर्व साधारण के उपभोग के लिए हों, भले ही ऐसे स्थल परिषद में निहत हों या राज्य सरकार में निहित हो, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना।

(छ) मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उसमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करना।

(ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस संबंध में निर्देश देने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाएं।

(झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वारथ्यकर परिक्षेत्रों

का पुनरूद्धार करना।

(ञ) सार्वजनिक पथों पुलियों नगर पालिका के सीमा–चिन्हों मण्डियों, हाटों वधशालाओं, शौचालयों,संडासों, मूंत्रालयों, नालियों नल–नलिकाओं जल निकाय सकर्मो नलनाली से संबंधित संकर्मो स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों पीने के पानी के नलों तालाबों कुंओं बाधों तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मो का निर्माण करना उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना।

(ट) कांजी हाउसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जहां पशु अतिचार अधिनियिम 1871 (1871 का स.1) प्रर्वतन में हो वहा उस अधिनियम की धारा 4,5,6,7,12,14,17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना।

(ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू पशुओं को स्वास्थ्य के खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय अतिरिक्त जल प्रदाय की जब तक ऐसा प्रदाय अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना।

(ड़) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानो को संख्याकित करना।

(ढ़) जन्म,विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना।

(ण) सार्वजनिक टीके लगाना।

(त) किन्ही भी ऐसे बछडों, गायों या भैसों के लिए जो पशु टीका (लिम्फ) के प्रदाय के लिये नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हो उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना।

(थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किए जाए कृषि उपयोगी पशुओं की गणना।

(द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों से पैदा होने या फैलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए अपेक्षित हैं।

(ध) नगर पालिका के प्रशासन पर ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिए परिषद से अपेक्षा करें।

(न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए मजबूत

चिन्हों का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिश्चित करते हो।

(प) परिषद के सफाई कर्मचारी वृन्द के लिए आवास गृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना।

(फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा अनुरक्षण करना।

इसके अतिरिक्त नगर पालिका अधिनियम की धारा 124 (क) से (फ) में उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थाई निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है।

धारा 124 (क) से (फ)

(क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में जिनमें निर्माण हुआ हो या नहीं नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना जिसमें ऐसे भागों से संस्पर्शी भवन के लिए भू–खण्ड सम्मिलित होगें।

(ख) सार्वजनिक पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागल खाने, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्म शालाओं, विश्राम गृहो तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना उसकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षा करना।

(ग) शैक्षणिक उद्देश्यों को अग्रसर करना।

(घ) सड़क के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना।

(ड) सार्वजनिक पथो तथा स्थानों पर जल छिडकाव़ करना।

(च) चौराहों उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना।

(छ) स्थानीय प्रायोजनों के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु जन्म–मृत्यु संबंधी आकड़ो का ठीक–ठीक रजिस्ट्रीकरण हो सके पुरस्कार देना।

(ज) सर्वेक्षण करना।

(झ) किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाए रखने के लिए आनुषंगिक वेतन तथा भत्ते भाड़े तथा अन्य खर्चे या ऐसे किन्ही भी खर्चो के किसी भाग का संदाय करना।

(ञ) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाश या निरोध करना, जिनका इस अधिनियिम के उपबंधो के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमित के अधीन विनाश किया जा सकता हो या जिन्हें निरोध में रखा जा सकता हो।

(ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक या घृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना।

(ठ) प्राईवेट परिसरों में उनके उपयोग के लिये उनका मलमूत्र परिषद के नियंत्राणाधीन नल–नाली में इकठ्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिए पात्रों ,फिटिगों, नालो तथा अन्य प्रकार के संधित्रों का चाहे जो भी हो प्रदाय, निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना।

(ड़) मलमूत्र के व्ययन के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना।

(ढ़) नगर पालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रितों के लिए किये जाने वाले कल्याण, कार्यो की अभिवृद्धि करना।

(ण) सफाई कर्मचारी वृन्द से भिन्न परिषद के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना।

(त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वच्छ निवास गृह का निर्माण करना।

(थ) पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के जो सार्वजनकि चिकित्सा सहायता प्रदान करती हो या सामाजिक कार्य में लगे हो या पूर्त प्रकृति की अन्य संस्थाओं के निर्माण उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदाय करना।

(द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा उनका अनुरक्षण करना और डेरी फार्मो की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन साड़ रखना तथा उनका भरण पोषण करना।

(घ) नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियो या फार्मो की स्थापना करना।

(न) विशेषतः गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं बच्चों तथा अशक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहित दुग्ध संघनीकृत दुग्ध वाष्पीकरण द्वारा नमी रहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निःशुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना।

(प) वासगृहों तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना।